



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125230

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दांडिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 17386 वर्ष 2026

पूरन देईआवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : कुलदीप त्रिपाठी, शिव शंकर मिश्रा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : दिव्यांशु पाठक, राजकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शिव शंकर मिश्रा, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री दिव्यांशु पाठक और राज्य के विद्वान अपर राजकीय अधिवक्ता श्री रोशन कुमार सिंह को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक को विचारण के दौरान पुलिस थाना- सिविल लाइंस, जिला रामपुर में बीएनएस की धारा 115(2), 351(2), 352, 108 के अंतर्गत अपराध संख्या 101 वर्ष 2026 में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक मृतक की सास है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में मृतक की पत्नी के साथ-साथ उसकी पत्नी के परिवार के अन्य सदस्यों के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं। आगे यह निवेदन किया गया है कि सुसाइड नोट के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



मृतक अपनी पत्नी से नाराज था क्योंकि वह उसके फोन कॉल नहीं उठा रही थी, और वर्तमान आवेदक तथा सह-अभियुक्त राशिद के बीच कथित अवैध संबंधों के कारण भी। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मृतक ने आवेदक के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप लगाए बिना स्वयं आत्महत्या की है, सिवाय इस तथ्य के कि वर्तमान आवेदक अच्छे चरित्र वाली महिला नहीं है और वह उसकी पत्नी को भी गलत संगत में फंसाने का प्रयास कर रही थी। आगे यह निवेदन किया गया है कि यदि संपूर्ण आरोपों को सच भी मान लिया जाए तो भी जहाँ तक वर्तमान आवेदक का संबंध है, आवेदक के विरुद्ध बीएनएस की धारा 108 के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनता है। अंत में यह निवेदन किया गया है कि आवेदक का कोई दांडिक इतिहास नहीं है और एक महिला होने के नाते, वह बीएनएसएस की धारा 480 के दृष्टिगत जमानत पर रिहा होने की हकदार है। आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और पुलिस द्वारा अभिरक्षात्मक पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। वह 13.03.2026 से जेल में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी और विचारण की कार्यवाहियों में सहयोग करेगी।

4. दूसरी ओर, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ राज्य के विद्वान अपर राजकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया किंतु पूर्वोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।
5. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदनों पर विचार करते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक एक महिला है तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए और जेलों में अत्यधिक भीड़ तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष दांडिक मामलों के भारी लंबन को ध्यान में रखते हुए, साथ ही 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 में रिपोर्ट किए गए कपिल वधावन बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधिदेश पर विचार करते हुए, साथ ही जमानत प्रदान करने के संबंध में 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765 में रिपोर्ट किए गए माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में इस न्यायालय के दिशानिर्देश पर विचार करते हुए तथा मामले के गुणागुण पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मेरा यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने की हकदार है। तदनुसार, वर्तमान प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. पूर्वोक्त अपराध में अंतर्गस्त आवेदक- पूरन देई को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक वैयक्तिक बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-
 - i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति का कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगी जिससे कि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी।
 - ii. आवेदक बिना कोई स्थगन मांगे विचारण/अन्वेषण में निष्ठापूर्वक सहयोग करेगी।
 - iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी भी दांडिक गतिविधि या किसी अपराध के किए जाने में संलिप्त नहीं होगी।
 - iv. आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगी।
7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का एक आधार होगा।
8. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभूओं की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।
9. संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभूओं के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन भी किया जाना चाहिए।
10. यह निदेश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।
11. कार्यालय को निदेश दिया जाता है कि वह (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट किए गए दिनांक 31.01.2023 को निर्णीत जमानत प्रदान करने के लिए नीतिगत रणनीति, इन रे: स्वप्रेरणा रिट याचिका (दांडिक) संख्या 4 वर्ष 2021 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के साथ-साथ दिनांक 29.05.2026 को निर्णीत रिट याचिका (दांडिक) संख्या 169 वर्ष 2025 में पीला पाहन उर्फ पीला पाहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य के मामले के अनुपालन में 24 घंटे के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



भीतर ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल के माध्यम से रामपुर जेल अधीक्षक के जरिए आवेदक को तथा ई-मोड के माध्यम से विचारण न्यायालय को इस आदेश की एक प्रति भेजे।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

जून 4, 2026

ए.के.आर.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"